अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम आमेर

कोमलदेवी बनाम किशनलाल

किस्म मुकदमा 225 RT Act नं. 11/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज कोमलदेवी / किशनलाल वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
25-1.21	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट तहसील का अवलोकन किया गया। पत्रावली मिसल बाहर पेश हुई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री ... जरिये अभिभाषक आकिबार उपस्थित। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.1.20 उनवान किशनलाल बनाम कल्ली देवी वगैरह में पारित आदेश के विरुद्ध पेश कर कहा में कथन किया कि तहत अदालत ने अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि आराजी नं. 340 रकबा 0.25 है तथा ख.नं. 342 रकबा 0.30 है कुल किता 2 रकबा 0.55 है. का 1/2 हिस्सा स्थित ग्राम धोसराना तहसील बहरोड़ जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.1.2020 को रे० संख्या 02 से से खरीद की है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 CPC व मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 अपील के साथ पेश है।	

बहस में आगे प्रार्थना पत्र के साथ अपील मीमो, सलग्न रेकार्ड, प्रार्थना पत्रों एवं फेमीडेट विरुध विलेख का हवाला देते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी तहत अदालत में मौजूद हैं मिसिलात होने जनाब साहब "मौका" देकर मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं करवा रहे हैं। जो सा. के तथ्यों के तहत 06 माह में प्रावधिक असाधारण निर्देशना ओदयों को 06 माह में निस्तारण करना चाहिए। अतः मजबूरा होकर तहत अदालत के आदेश दिनांक 22.1.20 के विरुद्ध यह अपील पेश की है। अतः अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहत अदालत के आदेश दिनांक 22.1.20 को निरस्त किया जाकर मुकदमा तहत अदालत को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि मुकदमा में अपीलार्थी को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मीमो का साथ सलग्न रेकार्ड, प्रार्थना पत्रों, फेमीडेट विरुध विलेख व तहत अदालत के आदेश दिनांक 22.1.20 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली अपील के साथ सलग्न फेमीडेट

तथा 10-7-342 रकबा 0.30 हैं इस दिलाए रकबा 0.55 हैक्ट 1/2 हिस्सा श्रीमति लाली देवी पत्नि रामहेर मैना धोसराना से क्रय कीगई है। अपीलार्ट को तहत अदालत/वादी प्रतिवादीगण द्वारा क्रय दिनांक से पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित आराजियात व निर्णय लेकर तहत अदालत द्वारा ही किया जाता है। परन्तु आडिफिका दिनांक 22.1.20 से पश्चात आज दिनांक तक केवल किशनलाल बनाम कोरट कोई प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। जबकि विवादित आराजियात में 1/2 हद हिस्सा को अपीलार्ट क्रेता है। ववत खरीद तहत अदालत क्रय से। राजस्व रेकार्ड में यथास्थिति के भी आदेश नहीं है। चूंकि इस आराजियात में अपीलार्ट का क्रय हिस्से तक हित निहित है। वाद विभाजन का है, वाद विचाराधीन है तथा विभाजन को तहत अदालत द्वारा ही तय किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है। जहां तक मियाद अधिनियम का प्रश्न है तो तहत अदालत में अपीलार्ट को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। अपीलार्ट को आडिफिका दिनांक 22.1.20 की जानकारी ~~मिली है~~ होते ही अपील पेश कर दी है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है।

तहत अदालत कहरार के आदेश

दिनांक 22.1.2020 के यह विरुद्ध अपील पेश की है। आडिफिका में केवल "मौके की यथास्थिति" बनाये रखने का ही आदेश है। तत्पश्चात भी इस में आराजीयात

रोक करने की दिनांक 21.1.20 तक किसी प्रकार का "स्थिति की मध्यस्थता" बनाये रखने का आदेश जारी नहीं किया गया है। जैसाकि कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील धारा 225 RTA के अन्तर्गत पोषणीय है। जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है प्रथम दृष्टया ऐसे आदेशों के विरुद्ध तहत अदालत में ही चाराजोई करनी चाहिए। परन्तु यहाँ प्रकरण भिन्न स्थिति का है। तहत अदालत में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। द्वारा वादी व प्रतिवादी ने 22.1.20 को मौके की मध्यस्थता के पश्चात निर्णय करवाने की कोई कार्यवाही नहीं करवाई है। CPC के प्रावधानों के अनुसार प्रथम तो इस प्रकार के निर्णय पारित ही नहीं किये जाने चाहिए परन्तु जहाँ न्याय की वास्तविक मांग हो तो ऐसे निर्णय पारित करने के पश्चात 01 माह की समयावधि में ऐसे निर्णयों को अंतिम आदेश के साथ निस्तारित करना चाहिए। अपीलार्थी इस प्रकार इस आदेश से स्वयं को व्यथित पक्षकार मानता है।

अतः समस्त परिस्थिति पर के मद्देनजर अपीलार्थी अपील स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। तहत अदालत के आदेश दिनांक 22.1.20 को निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण को तहत अदालत [illegible] को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रार्थी/अप्रार्थी (वादी/प्रतिवादी) के साथ अपीलार्थी को पक्षकार बनाया जावे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज कोमल / निर्मल वै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी के उपरोक्त गुणावगुण के आधार पर यथाविधि निर्णय (01 माह की अवधि में) पारित करें। तहत अदालत को निर्णय की प्रति प्रेषित भिजवाई जावे। अपील का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाकर फैसलशुमार हो। निर्णय आज दिनांक 25.1.24 को बरेइजलास सुनाया गया। Sd/-	